IPC की धारा 377 की संवैधानकिता पर केंद्र सरकार ने फैसला सुप्रीम कोर्ट के ववि‍क पर छोड़ा

चर्चा में क्यों?

समलैंगकिता को अपराध के दायरे से बाहर कयिा जाए या नहीं, केंद्र सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दयिा है। हाल ही में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने धारा 377 पर कोई स्टैंड नहीं लयिा और कहा कि कोर्ट ही तय करे कि 377 के तहत सहमतसि बालगिों का समलैंगकि संबंध बनाना अपराध है या नहीं। एडशिनल सॉलसिटिर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कहा कि हम 377 की वैधता के मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं, लेकनि अगर सुनवाई का दायरा बढ़ता है तो सरकार हलफनामा देगी।

प्रमुख बदि‍ु

- भारतीय दंड संहति (IPC) की धारा 377 की संवैधानकि वैधता को चुनौती देने वाली याचकिाओं पर पाँच जजों की बेंच सुनवाई कर रही है जसिमें चीफ जस्टसि दीपक मशि‍्रा, जस्टसि आर.एफ. नरीमन, जस्टसि ए.एम. खानवलिकर, जस्टसि डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टसि इंदु मल्होत्रा शामलि हैं|
- बुधवार को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रही। कोर्ट ने कहा है कि अगर दो बालगिों के बीच आपसी सहमतसि संबंध बनते हैं तो इसे अपराध करार नहीं दयिा जा सकता।

केंद्र का वरि‍ोध

- तुषार मेहता ने कहा कि हादयिा मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सिभी को अपना पार्टनर चुनने का अधकिार है। मेहता ने कहा कि इसका दायरा सपडि और सगे-संबंधयिों से यौन संबंध (incest) तक नहीं पहुँचना चाहयि। तुषार मेहता ने कहा, 'मेरी पार्टनर मेरी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि हनि‍्दू ववि‍ाह अधनियिम के तहत यह प्रतबिंधति है।'
- एक सवाल के जवाब में न्यायमूर्तडिी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि बेंच यहाँ यौन अभविन्यास के कसिी भी "अजीब वचिारों" पर नरि‍्णय लेने के लयि नहीं है।
- इसपर न्यायमूर्तचिंद्रचूड़ ने कहा इस सुनवाई का वशिषाधकिार एक रशि‍्ते की प्रकृतकिो समझना और संवधिान के अनुच्छेद 21 (जीवन के मौलकि अधकिार) की सुरक्षा के तहत लाने के लयि है।
- रोहंटनि नरीमन यह जानने के लयि हस्तक्षेप कयिा कि बेंच मौलकि अधकिार की 'वषिय-वस्तु' से बाहर तो नहीं जा रहा है|
- मुख्य न्यायाधीश मशि‍्रा ने कहा कि अदालत "रशि‍्ते की रक्षा" के मुद्दे पर वचिार कर रही है।

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) का मुद्दा

- सरकार ने संवधिान पीठ से समलैंगकिों के बीच ववि‍ाह, गोद लेने और एलजीबीटी समुदाय के अन्य नागरकि अधकिारों पर गौर न करने का आग्रह कयिा है।
- हालाँकि पीठ ने कहा कि अगर वह समलैंगकि वयस्कों द्वारा सहमतसि बनाए गए संबंध को संवैधानकि करार देती है तो एलजीबीटी समुदाय में शादी, रोजगार और चुनाव लड़ने आदसि संबंधति अयोग्यता का मामला उठेगा।
- पीठ ने कहा कि धारा-377 को असंवैधानकि करार देने के बाद एलजीबीटी समुदाय में शादी आदसिामाजकि दृष्टसि अमान्य नहीं रह जाएगी।
- पीठ ने तुषार मेहता से कहा कि हम सरि‍्फ सेक्सुअल एक्ट का परीक्षण नहीं कर रहे हैं। हम यह परीक्षण भी कर रहे हैं कि दो वयस्कों के बीच संबंध संवधिान के अनुच्छेद-21(जीने का अधकिार) का हसि‍्सा है या नहीं?
- पीठ ने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी स्थतिआिए जब मैरनि ड्राइव पर घूम रहे दो समलैंगकिों को पुलसि परेशान करे और उन पर कानून के तहत मुकदमा दर्ज करे। पीठ ने कहा कि हम एलजीबीटी तक ही खुद को सीमति नहीं कर रहे।
- वास्तव में यह दो वयस्कों द्वारा सहमतसि संबंध बनाने का मसला है। यह समझने की ज़रूरत है कि संवधिान के तहत संबंध को संरक्षण प्राप्त है।
- याचकिाकर्त्ताओं के वकीलों का कहना था कि मूल बात एलजीबीटी समुदाय की स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की है। गे समुदाय के लोगों को न सरि‍्फ न्याय नहीं मलि रहा है बल्कि उन्हें प्रताड़ति भी कयिा जा रहा है। उन्हें ब्लैकमेल कयिा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह महज धारा-377 का मसला नहीं है बल्कि संवैधानकि मूल्यों का है।

आपराधकि जनजातअधनियिम, 1871 (Criminal Tribes Act, 1871)

- इस अधनियिम ने कई हाशयि वाले आबादी समूहों जैसे-ट्रांसजेंडर को "सहज रूप से आपराधी" के रूप में ब्रांडेड कयिा था।

- 1949 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को रद्द कर दिया गया था लेकिन धारा 377 अभी भी जारी है|
- धारा 377 के खिलाफ लड़ाई में LGBT समुदाय के अनेक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है|
- वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बहस के दौरान तर्क दिया कि "हम केवल यौन अल्पसंख्यकों के रूप में सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि इसमें सभी मनुष्यों का सम्मान अंतर्निहित है|
- वरिष्ठ वकील अरविंद डाटर ने तर्क दिया कि कामुकता, यौन स्वायत्तता और यौन साथी चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार मानव गरिमा की आधारशिला है। धारा 377 लोगों के एक वर्ग को अपराधी बनाती है| यह कहना गलत है कि यह केवल कार्य को दंडित करता है न कि लोगों को।
- मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 15 (लैंगिक भेदभाव), 14 (समानता), 19 (स्वतंत्रता) और 21 (जीवन और गरिमा) का उल्लंघन करती है। सुश्री गुरुस्वामी ने इसे एक भयानक औपनिवेशिक विरासत के रूप में चित्रित किया जिसमें "चिलिंग इफ़ेक्ट" है।
- धारा 377 के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए वरिष्ठ वकील श्याम दिवान ने अदालत से आग्रह किया कि वह 'अंतरंगता का अधिकार' घोषित करे। उन्होंने कहा कि एलजीबीटी के लोगों को उस स्थिति में मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब वे किसी प्रियजन को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाते हैं या बैंक खाता खोलने हेतु जाते हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/govt-leaves-decision-on-sec-377-to-the-court